IShri Bhanu Pratap Singh.]
Every effort is being made to alleviate the sufferings of the people of Andhra Pradesh 3 P.M.

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): Sir, may I make one small suggestion that one of the Ministers from the Centre, preferably my hon. friend, Mr. Bhanu Pratap Singh, may be good enough to go there expeditiously by a plane and then go over the affected area by a helicopter and in that way gain a firsthand impression and knowledge of not only the extent of the damage but also the nature of the damage so that it would be easier for him to understand whatever report that would be coming from the State Government and then give all the possible assistance to the local Government? I may also inform my hon. friend that six of us, Members of Parliament from both the Houses, propose to go down there during the coming week-end on Friday, Saturday and Sunday and try to reach as many places as possible and come back and also submit our own report to the Government.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, I have myself thought to go there but day after tomorrow, I have to give replies on behalf of the Agriculture Ministry. That is what is detaining me. As soon as I am free from this duty, I propose to go to Andhra Pradesh.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन, सदन में यह भी रिपोर्ट ग्रानी चाहिए कि पहले से सुचना होते हुए भी. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): We are not discussing the statement.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : डिसकशन नहीं श्रीमन्, यह रिपोर्ट श्रानी चाहिए कि पहले से सूचना होते हुए भी एक हजार श्रादमी मारे गये, तो इसके लिये एडिक्वेट श्रीकाशन लिये गये या नहीं लिये गये ? THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): That is already there in the statement.

MOTION RE FIFTEENTH AND SIXTEENTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR LI NGUISTIC MINORITIES IN INDIA—Contd.

श्री योगन्द्र शर्मा (बिहार) : उपसभा-ध्यक्ष महोदय, यह बहत ही निराशा और चिन्ता की बात है कि भाषायी अल्पसंख्यकों की 1972-73, 1973-74 की रिपोर्टी पर हम 1977 के ग्राखिर में विचार कर रहे है। यदि पालियामेंट भाषायी अल्प-संख्यकों के ग्रधिकारों का संरक्षण करने का मौका नहीं पायेगी तो फिर इस बात की गारंटी नहीं हो सकती है कि भाषायी अल्प-संख्यकों के संबैधानिक ग्रधिकारों की रक्षा होगी। इसलिए सब से पहले मेरा जो निवेदन है वह यह है कि संसदीय कार्य मंत्री मौजद है कि पालियामेंट साल में करीब 150 दिन बैठती है ग्रौर 150 दिनों में कम से कम एक दिन भाषायी अल्पसंख्यकों के समस्याओं पर, उनकी रिपोर्ट पर विचार करें। तब जबिक हमारे देश में भाषायी अल्पसंख्यक सिर्फ उर्द की भाषा के लोग नहीं है। जब से भाषावार राज्यों की स्थापना हुई है, पुनर्गटन हुआ है तब से हम समझते है कि तमाम राज्यों को मिला कर 10-12 करोड लोग भाषायी ग्रल्पसंख्यकों की श्रेणी में ग्राते है। उनके जो संवैधानिक ग्रधिकार हैं, जो हमारे संविधान में उनको संरक्षण दिये गये हैं, उनके ऊपर विचार करना पालियामेंट का एक बहुत ही ग्रहम कर्त्तव्य है। इसलिए हमारा पहला अनुरोध यह है कि इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि हर साल कम से कम एक दिन तो हमें अवश्य निकालना चाहिए ताकि हम भाषायी ग्रल्पसंख्यकों की रिपोर्ट पर विचार कर सकें। जहां तक रिपोर्टों का सवाल है रिपोर्ट पढ़ने के बाद दिल फट जाता है। दोनों रिपोर्टों से मालुम होता है कि हमारे

संविधान में भाषायी ग्रल्पसंख्यकों को जो भी ग्रधिकार दिए गए हैं और संविधान में ही नहीं बल्कि देश के तमाम मख्य मंत्रियों ग्रीर केन्द्रीय मंत्रियों का सम्मेलन हम्रा था कि भाषायी ग्रल्पसंख्यकों के जो संवैधानिक ब्रधिकार है उनको कैसे लागु किया जाये उसके सिलसिले में जो कुछ सर्व-सम्मत कार्यक्रम तैयार किया गया, तमाम की अवहेलना हो रही है। यह दोनों रिपोर्टें भाषायी ग्रल्प-संख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा और अव-हेलना की रिपोर्ट हैं। हालत यहां तक पहुंची है कि बेचारा कमिश्नर लिखता है, वह स्टेट गवर्नमेंट से पूछता है तो वे परवाह नहीं करतीं । राज्य सरकारें परवाह नहीं करती है। उनके सवालों का जवाब नहीं देती हैं। आंकड़े मांगते हैं तो आंकड़े नहीं मिलते हैं। यह तो बेचारा एक ग्रसहाय मालम होता है। उसके साथ रोने की तवियत करती है। जितना भी चाहे प्राइमरी एजकेशन का सवाल हो, संकेंडरी एजकेशन का सवाल हो,ग्रपनी जबान में दरख्वास्त देने के अधिकार का सवाल हो, इनके मुताबिक जो रिपोर्ट है वह बहुत ही निराशाजनक है ग्रीर मंहल जी को खुशी होगी यह तो कांग्रेसी शासन के समय की है इसलिए हमें कोई विशेष चिन्ता नहीं। लेकिन यह कांग्रेसी शासन या जनता पार्टी के शासन का सवाल नहीं है और हम समझते हैं कि इसको पार्टी का सवाल बनाना भी नहीं चाहिए । क्योंकि वही सवाल अव भी जारी है बल्कि हम तो यह कहेंगे अब उस सिलसिले में ग्रीर भी तेजी की जा रही है इसलिए इसको पार्टी के झगडे का सवाल न बना कर देखें। जिन चीजों को हमने संविधान में स्थान दिया है और बहुत ही समझ-बूझ कर दिया है उनकी रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है ब्रीर ब्रभी हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे है। हम उन घटनाओं और उदाहरणों में नहीं जाना चाहेंगे जो इन दोनों रिएोटीं में भरे पडे हैं। हम कुछ हाल की बातों को लेंगे। हम जिस प्रदेश से ग्राते हैं मंडल जी भी उसी प्रदेश से झाते हैं। अभी, मान्यवर, तिभाषी फार्मूला जो स्वीकृत किया गया था जब से बिहार में नयी सरकार ग्रायी है तब से उस विभाषी फार्मूले से उर्दू को निकाल दिया गया है। कम से कम बिहार, उत्तर प्रदेश जहा पर कि उर्दू भाषा भाषियों की बहुत वड़ी संख्या है. . .

श्री सिकन्दर वली वज्द (महाराष्ट्र) : 80 लाख।

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम यदि नेशनल इन्हेंग्रेशन चाहें, राष्ट्रीय एकीकरण चाहें ग्रीर हमारा संविधान चाहता है तो कम से कम हम उर्द को विभाषी फार्मले के भीतर तो रखें। इन दोनों राज्यों में जहां उर्द् रखी भी गयी यी फिर निकाल दी गयी। क्यों निकाल दी गयी? कोई खुलासा नहीं है। हमारे बिहार में श्रीमन 6 ट्रेनिंग कालेज है ग्रीर 90 ट्रेनिंग स्कल्स है। 6 ट्रेनिंग कालेज शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए ग्रीर 90 ट्रेनिग स्कुल्स। लेकिन उनमें कितन उर्द शिक्षकों को ट्रेंड करने की गंजाइम है? सुनकर हमको शर्म आती है क्योंकि हम भी बिहार प्रदेश से ग्राते हैं, सिर्फ एक। ग्रीर जब यह सवाल उठाया जाता है कि क्यों नहीं उर्द शिक्षक रखे जाते हैं तो कहा जाता है कि उद् शिक्षक नहीं मिलते है। 90 देनिंग स्कल्स ग्रीर 6 ट्रेनिंग कालेज है। ग्रीर उर्द् भाषी केवल एक तो कहां से आपको ट्रेन्ड शिक्षक मिलेंगे। उत्तर प्रदेश को ले लें। उत्तर प्रदेश में जब बहुगुणा मंत्रिमंहल था, बहुगुणा जी ग्रापकी सरकार के भी मंत्री है, उन्होंने 4 हजार शिक्षकों को बहाल किया था, नियुक्त किया था।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (नाम-निर्देशित): कमलायति जी ने मुकरैर किया था ग्रीर बहुगुणा जी ने काम ग्रागे वहाया था।

श्री योगन्द्र शर्मा: कुछ भी कह नैं। हमारी जिकायत यह है कि श्राज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया श्रीर ग्रव खतरा इस बात का श्रा गया है कि उनमें से एक हजार जिक्षक छोट दिये जायेंगे इस नाम पर कि

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

उन्होंने टेनिंग नहीं ती है जबकि ट्रेनिंग देने के लिए कोई कोशिश नहीं की गयी है। दिल्ली को ले लें। दिल्ली में उर्द् भाषी विद्यार्थी जो उर्द के माध्यम से पहते हैं उनको उर्द में प्रश्नपत्र नहीं दिये गये बल्कि उनको हिन्दी में एश्नपत्र दिये गये। मैं हिन्दी भाषी हं श्रीर हिन्दी भाषी होने का मुझे फधा है गौरव है ग्रीर मैं इस बात के लिए संघर्ष कर रहा हं श्रपनी मीमा के भीतर कि वह दिन आये जब हिन्दी देश की सम्पर्क भाषा हो राज भाषा हो। लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है यह तो हमारे संविधान की भारतीय जनतंत्र की पूरी स्प्रिट के खिलाफ है कि उर्द भाषी विद्यार्थी उर्द के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रश्नपब हम उन्हें दूसरी भाषा में दें। यह तो संवैधानिक अधिकारों पर हमला है भ्रौर उस लंबैधानिक अधिकार पर हमला हो रहा है । श्रीमन् अभी-अभी दिल्ली प्रशासन ने करीब 400 हैडमास्टरों का तबादला किया है। तबादले होते हैं होने चाहिएं। लेकिन वह खास मक्सद से होते हैं। ग्रीर यह तबादले इस तरह से किये गये कि 30 उर्द स्कूल के जो उर्द-भाषी हेड ास्टर थे उन्हीं बैचारों को मक्ति मिल गई---उनको अलग कर दिया। यह हो रहा है और हम सरक्षण की बात करते हैं। इसी तरह से राजस्थान को लें। राजस्थान में पहले उर्द अकाडमी के लिए 2 लाख रु० की ग्रांट थी उसको घटा कर 30,000 इ० कर दिया । हजारों उदाहरण हैं जो पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि भाषायी अन्यसंख्यकों के वे अधिकार जिनको हमने मंविधान में स्रक्षित किया है उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये हत्याएं क्यों हो रही हैं। हम सिर्फ जनता पार्टी की सरकार पर दोष नहीं देना चाहते हम देश की एक मनोवृत्ति पर दोष देना चाहते हैं और वह मनोवृत्ति आज बहुत जोरों से उभर रही है भीर वह मनोवत्ति कांग्रेसी शासन जब था-कांग्रेस के लोगों का जब शासन था-उस वक्त भी वह मनोवृत्ति थी।

धीर वह मनोवृत्ति क्या है ? हमारे पूर्ववक्ता ने ब्लिट्ज में गृह मंत्री की मुलाकात का एक हवाला दिया। 12 नवम्बर का ब्लिट्ज है उसमें गह मंत्री के साथ ज्लिटज के संपादक करांजिया की भेंट के दौरान सवाल ग्रीर जवाब की रिपोर्ट छपी है। इसमें किसी जात का खंडन नहीं किया गया है, कांट्रेडिक्शन नहीं किया गया है। भीर कहा क्या गया है-जब उनसे यह पृष्ठा गया कि जनता पार्टी के घोषणापत में यह कहा गया है कि उर्द की उचित स्थान दिया जाएगा, इयु ग्लेस दिया जाएगा तो इसके लिए ग्राप क्या कर रहे हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में बहत सी बारें कहने के बाद उन्होंने कहा कि साहब उर्दू जो है वह टर्कियों की श्रीर मग़लों की भाषा है—उर्दवाज इंपोल्ड बाई दटक्सं ग्रार द मगोन्स ह केम फाम आउटसाइड । उर्द जो पैदा हुई भारत की भूमि में, भारत की घरती में उस उद को कहा जाता है कि वह तुकियों की भाषा थी, मुगलों की भाषा थी। हम समझते हैं यह बात वही कह सकता है जिसने शायद अपनी सारी जिंदगी में कभी यह नहीं कहा होगा: इंकिलाब जिदाबाद। यह इंकिलाव जिंदाबाद उर्द ने हम को दिया है। ऐसी बात वहीं कह सकता है जिसने अपनी मारी जिंदगी में कभी यह नहीं कहा होगा. कभी यह नहीं गाया होगा--सारे जहां से भ्रच्छा हिन्दोस्तां हमारा । ग्रीर उस भाषा को आप तुर्कियों की भाषा और मुगलों की भाषा कहते हो। तो यह जो मनोवृत्ति है यह मनोवृत्ति जब तक रहेगी तब तक इस देश में भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारो की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात को है कि इस मनोवत्ति के खिलाफ़ हम लहें। हमें ख़शी होती है कि मंडल जी कहते हैं हम गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हैं। गांधी जी का क्या विचार या? गांधी जी तो हिन्दी ग्रीर उर्द दोनों को मिला कर एक हिन्दुस्तानी भाषा बनाना चाहते थे इस बात की जिदगी भर कोशिश करते रहे। क्या उन्होंने कहा था कि उर्द

विकियों की मगलों की भाषा है ? आज आप गांधी जी की शपथ लिने वाले लोग कहते हैं कि उर्द तिकियों ग्रीर मुगलों की भाषा है।

इतना ही नहीं है श्रीमन उसी बयान में कहा गया--उर्द कैन्नोर बी इम्पोज्ड ख्रान द हिन्दूज । सवाल कहां उठता है ? कौन कहता है कि उर्द को हिन्दुओं पर इम्पोज करो? उर्द के इम्पोजिशन का सवाल कहां उठता है ? सवाल तो यह है कि जो उर्द भाषाभाषी हैं, स्रयान् जिनकी मातृभाषा उर्द है, उनको जो ग्रधिकार संविधान में हैं ग्रीर हमारे विचार से वे ग्रधिकार काफी नहीं हैं; और भी अधिकार मिलने चाहिएं। उन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यौर जब समस्या यह है तो कहा जाता है कि इम्पोज नहीं किया जा सकता है। लादा नहीं जा सकता है क्योंकि बहमत इसके खिलाफ है। तो क्या बहमत के स्राधार पर हम यह तय करेंगे? संविधान की धारा 29 में यह कहा गया है कि इस देश के लोगों की, हर समुदाय की भाषा और संस्कृति की रक्षा होगी। यह हमारा संविधान है। इसकी क्या हम वहमत और अल्पमत की ताकत के ब्राधार पर तय करेंगे ब्रौर यदि हम ऐसा करेंगे तो जाहिर बात है कि तमाम भाषायी ग्रल्पसंख्यकों के ग्रधिकार खत्म हो जायेंगे ग्रीर यदि ऐसा हुग्रा तो फिर हम को वहीं जाना पड़ेगा जहां कि पाकिस्तान पहुंच गया है--एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। तो हम समझते हैं कि यह जो मनोवत्ति है, जिसके कारण ग्रल्पसंख्यकों के ग्रधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है उसके खिलाफ लड़ना होगा। उसको खत्म करना होगा ग्रीर जब तक यह नहीं होगा तब तक ग्रल्पसंख्यकों के ग्रधिकारों की रक्षा नहीं हो सकेगी।

इस सिलसिले में यह सवाल उठता है कि उर्द को उत्तर प्रदेश की या दूसरे प्रदेशों की सेकिड लैंग्वेज बनाया जाय। श्रव सेकिड लैंग्वेज का सवाल बहुत टेढ़ा है और इसमें हम पड़ना नहीं चाहते कि वह सेकिंड लैंग्वेज हो या थर्ड हो या फोर्थ हो। सवाल है उनके अधिकारों का। उनको अपनी भाषा में पहने का अधिकार होना चाहिए प्राइमरी से लेकर युनिवर्सिटी तक। अपनी भाषा में उनको सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में ग्रीर कोर्ट स में दरख्वास्त देने का ग्रधिकार होना चाहिए ग्रौर उनको ग्रपनी ही भाषा में उसका जवाब पाने का अधिकार होना चाहिए और इस तरह के जो उनके ग्रधिकार हैं हम समझते हैं कि कमोबेश उन पर ग्रमल होना ही चाहिए। बिहार से कभी दस लाख दस्तखत ले कर, कभी उत्तर प्रदेश से 20 लाख दस्तखत ले कर लोग राष्ट्रपति जी के पास आये थे। उनकी जो मांगें थीं उनकी गारंटी होनी चाहिए और इस झगड़े में हम को नहीं पड़ना चाहिए कि वह प्रदेश की सेकिड लैंग्वेज हो या थर्ड लैंग्वेज हो या फोर्थ लैंग्वेंज हो। तो उनके ग्रधिकारों की गारंटी होनी चाहिए यह मुख्य प्रक्रन है ग्रौर हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है और धारा 347 में इसी लिये कहा गया है कि यदि देश के किसी भाग का एक समदाय ग्रपनी भाषा के संबंध में सरकारी काम काज के सिलसिले में कोई मांग करे तो राष्ट्रपित को यह अधिकार है कि वह उसके लिये उचित आदेश दें। हम मांग करते हैं कि यह सरकार राष्ट्रपति जी के पास ऐसी अनुशंसा भेजे कि बिहार और उत्तर प्रदेश और वे प्रदेश जहां कि उर्दू भाषा-भाषी लोग हैं, कम से कम दस फीसदी जहां भी हैं, वहां पर उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए ग्रीर इस झगडे में नहीं पड़ना चाहिए कि वह दूसरी भाषा हो या तीसरी भाषा हो ग्रीर राष्ट्रपति जी को इसके लिये उचित ग्रादेश देने चाहिए।

श्रंत में, श्रीमन्, मैं बिहार से ग्राता हं। हम समझते हैं कि उर्द भाषा बोलने बालों के बाद हमारे देश में भाषायी ग्रल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी संख्या ग्रादिवासियों की है ग्रीर बिहार में तो है ही ग्रीर इसको ले कर वहां एक अलग प्रान्त बनाने का ग्रांदोलन उठा

[श्रो योगेन्द्र शर्मा]

हमा है। फिर हम कांग्रेस और जनता पार्टी का सबाल इस में नहीं उठाना चाहते क्योंकि उस म्रांदोलन में जनता पार्टी के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी हैं, यहां तक कि जनता सरकार के एक मंद्री भी हैं जो म्रांदोलन को चला रहे हैं कि छोटा नागपुर ग्रीर संथाल परगना को एक ग्रलग प्रान्त बनाया जाय। यदि वहां स्रादिवासियों की बहलता होती, यदि वह 51 या 50.5 प्रतिशत भी होते तो हम इसका समर्थन करते कि वहां एक ग्रादिवासी राज्य वनना चाहिए। लेकिन छोटा नागपुर श्रौर संथाल परगना दोनों को मिला कर हम देखते हैं कि म्रादिवासियों की संख्या वहां कूल 30 फीसदी है। तो कैसे वह अलग प्रान्त बन सकता है ग्रीर ग्रलग प्रान्त बनेगा तो उसकी भाषा क्या होगी ? उस प्रान्त की ग्राफिशियल लैंग्वेंज क्या होगी ? तो पूरे बिहार को इस भाषा के दलबदल में खत्म करने की एक योजना है। इस मायने में हम प्रधान मंत्री श्री मोरारजी को बधाई देना चाहते हैं कि वह रांची गये थे वहां उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि बे बंटवारा नहीं चाहते । लेकिन साथ ही साथ श्रीमन वहां हमारे ग्रादिवासी ग्राप जानते हैं. सबसे ज्यादा शोषित हैं, पीड़ित हैं। उनके ग्रधिकारों का हनन हो रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में कम से कम दो ऐसे इलाके हैं जहां पर कि ग्रादिवासियों की संख्या 50 फीसदी से अधिक है, 60 फीसदी करीब है। तो इन दो क्षेत्रों में ग्रादिवासी स्वणासी प्रशासन की स्थापना हो । उनके क्या क्या अधिकार हों, इसके लिए हमें प्रतिनिधि सभा बलाकर, सम्मेलन बुला करके विचार करना चाहिए। लेकिन उनको यह स्वशासी ग्रधि-कार बिहार के अन्दर इन दो क्षेत्रों में मिल सकते हैं। (Time Bell Rings)

श्रीमन्, ग्रापने घंटी बजाई है, इसलिए उनका नाम नहीं लेता। ग्राखीर में मैं एक बात कह कर ग्रपनी बात खत्म करना चाहूंगा ग्रौर वह यह कि भाषायी ग्रल्प-संख्यक कमिश्नर जो बेंचारा है उसकी कोई सुनता ही नहीं। ग्रभी ग्रभी मंडल जी ने कहा कि जो नया कमिश्नर गया वह पुरा पद या समय का नहीं है, वह कुछ ग्रीर भी काम करता है। इसका मतलब है कि और भी कुछ वह कर सकता है। इसलिए मेरी मांग यह है कि यदि ग्राप भाषायी ग्रल्पसंख्यकों के संवैज्ञानिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो इस कमिश्नर की शक्ति को बढाइए, उसका ज्यादा सक्षम कीजिए, उसको ज्यादा सशक्त कीजिए। हम चाहेंगे कि हर एक राज्य में इस तरह की चीज होनी चाहिए। हर जिले में भाषायी अल्पसंख्यक अधिकार खास तौर पर उनको दिये जायें। हमारी अपील है कि हमारे इन सुझावों के अनुसार ग्राप श्रमल करें। हम आणा करते हैं कि मंडल जी उस गलत मनोवृत्ति के खिलाफ संघर्ष करेंगे जिसके कारण भाषायी ग्रत्यसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है।

SHRI NRIPATI RANJAN CHOU-DHURY (Assam): Sir, Prof. Ramlal Parikh, while making his observations, suggested that the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities should be placed in time and discussed in the House immediately after it is submitted to the Government. But better late than never. Even then, when we are discussing the Reports after three or four years, the situation has not changed. The recommendations which were made in these Reports still remain unimplemented. In view of this, I think it would be good to discuss these Reports in the House even now. Moreover, with this new Government coming here at the Centre, a new situation has been created in the country so far as the linguistic and religious questions are concerned. This new situation has developed because of the views expressed in the statements of the members of the present Government regarding language. We are concerned with the linguistic minorities only. The over-enthusiasm being

shown by responsible members of the Union Government regarding the use of Hindi in all official matters has created tension in the non-Hindi speaking areas of the country, particularly in the South, and every day articles and letters and appearing in the Press in which a popular agitation is being carried on against imposition of Hindi. Secondly, Sir, the Education Minister, Dr. Chunder, announced on the floor of the House that he is not going to accept education as a Concurrent subject in view of his non-acceptance of the 42nd Amendment to the Constitution. Sir, this inclusion of education in the Concurrent List has always been very much welcomed by the linguistic minorities all over the country. But the Minister, only the other day in this House, said that he was not going to accept this position. This has created an apprehension in the minds of the linguistic minorities all over the country that this Government may not deliver the goods so far as the implementation of the report of the Linguistic Minorities Commission is concerned.

Again, we have seen the Press report about Shri Jayaprakash Narayan's prescription of smaller States and also the reported proposal of the Home Ministry for the reorganisation of States. Sir, this sort of reports and statements by responsible persons in the Government and also the conscience-keeper of the Janata Party Government have only encouraged forces of disintegration in this country. Sir, these three points which I mentioned have created a new situation. Therefore, when we are discussing the Fifteenth and the Sixteenth Reports of the Commissioner of Linguistic Minorities, naturally, we have to be cautious while making our observation.

[THE VICE-CHAIMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA) in the Chair]

Also this discussion will give the Government an opportunity to clarify their position on these issues.

Sir, the safeguards of linguistic minorities are mainly derived from

the Provincial Education Ministers' Conference of 1949, the Government of India Memorandum 1956, the Ministry of Home Affairs Press note dated July 14, 1958, Discussions of the Southern Zonal Council in 1960 and the statement issued by the meeting of the Chief Ministers and the Central Ministers in August, 1961. Sir, in this process of formulating a national policy regarding these safeguards to the linguistic minorities nowhere the representatives of the linguistic minorities have been taken into confidence. These issues were discussed only at the official level with the Central Ministers, the Chief Ministers, the officials and the linguistic minorities spread all over the country.

Again, the hon'ble Minister has agreed that this is a land of minorities. We are all minorities. Some who are in a majority in Bihar are in a minority in Orissa. Somebody who is in a majority in West Bengal is in a minority in Assam. So we all are minorities somewhere. The same community which is in a majority in one place is in a minority in the other parts of the country. In that sense all the linguistic groups are minorities in the some areas or in the pockets. Everybody is a minority. So, this is a land of minorities. For instance, Mr. Rajnarain who is very much a vocal person an over-enthusiastic Hindi propagator-self-styled, of course; he is not employed for that purpose— thinks that because he is from U.P. and U.P. is a predominantly Hindi-speaking State, whatever he says about Hindi should hold good everywhere. But in West Bengal the Hindi-speaking people are in minority and his own linguistic group have trouble in other States—in West Bengal, Assam and Orissa. If one is so much chauvinist, his own people will be in trouble in other places. So, Sir, my contention is that those who sit at the table for formulating the policy for linguistic minorities will not be able to solve the problem because those who sit at the table are people who are in power. Linguistic minbri[Shri Nripati Ranjan Choudhury]

ties who live in pockets have their own special problems and these problems do not reach this table where these decisions are taken. As a result, in spite of all our good efforts and the safeguards we have formulated, so far we have not been able to give even proper guidelines for the implementation of the safeguards for the linguistic minorities

Sir, take the case of the Three-language Formula for instance. In 1961, in the Chief Ministers' Conference they thought this would solve the problem but it has created problems for all the States. Shri Yogendra Sharma has mentioned about Urdu's position in Bihar and Uttar Pradesh. I will give you two other instances. One is in Delhi itself and that is about Punjabi. There is a reference to it on page 60 of the Sixteenth Report.

"Representatives of Punjabi-speakers complained that the Three-language Formula had been revised to the disadvantage of linguistic minorities who had been debarred from studying all the three languages upto class XI."

Then there is the other case which I will place before you because it has created different problems in different States. Now, in Assam, of Cachar Bengali-speakers district complained that the Government of Assam, as a matter of policy, decided to introduce Assamese as a compulsory subject in all the secondary schools in the State. Accordingly, the Board of Secondary Education, Assam, issued a circular embodying Assamese as a compulsory core subject with effect from 1973-74 academic session. The matter was taken up with the Assam Government. Then the Assam Government had, however, sought further clarification from the Ministry of Home Affairs whether the decision taken by the State Government of Assam to make Assamese a compusory subject was within the framework of the Government of India policy on the safeguards

for linguistic minorities. Now, what is the problem? For the linguistic minorities in Assam, whose mother tongue is not Hindi, Three-language formula virtually becomes a four language formula. Yours is a Three language Formula. There is no provision for the study of mother tongue as a subject. So a problem is created there to choose between their mother tongue and Hindi or the regional language. So it is a now situation that has to be sorted out. And what does the Commissioner say? In the 1973-74 Report, the Commissioner accepts this position.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You will have to finish now.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Sir, I have spoken for only, five minutes My time is fifteen' minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): It has been written here that you started at 3.23 P.M.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: It is not correct, Sir. I am' looking at the clock. I started after 3.30 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri U. K. LAKSHMANA GOWDA) It is written here.

SHRI NRIPATI RANJAN DHURY; It is not correct:

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You take two minutes more and finish.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: It won't do, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): All right, another three minutes.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOU-DHURY: No, Sir. Five to seven minutes you have to give me.

The Commissioner says: There is no denying the fact that barring the six-States where the regional language is Hindi, the three-language formula

adopted by the Chief Ministers' Conference of 1961 automatically becomes a four-language formula for any of the linguistic minorities whose mother tongue is not Hindi. This aspect of the problem deserves reexamination at the Central level. Therefore, Sir, I request the Minister to kindly re-examine this threelanguage formula and see what can be done in this respect to sort out different problems being faced by linguistic minorities in different ways in different States.

Then, Sir,, the function of the Commissioner has already been stated by the Minister. So, I am not elaborating these things. He has points. already made those Commissioner's function is only to enquire, investigate, report and recommend. Mind it,, he has no mandatory power and his recommendation goes unheeded to toy State Governments. You will be surprised to know that the State Governments do not even cooperate in supplying the data or information required by the Commissioner. So, Sir, about these safeguards—when you don't give time, I am just concluding, I am not taking more time—very few of the safeguards mentioned in the National policy have been sincerely pursued by State Governments. In this regard... generally the linguistic minorities all over the country feel that their interest will not be properly looked after if the administration of the safeguards in respect of linguistic minorities is kept as a State subject. So, I will request the Minister to consider the point whether they can take over the administration of safeguards of the linguistic minorities and make it a Concurrent subject. After passing of the 42nd Constitution Amendment 'Education' automatically comes under the Concurrent List. If they are contemplating to amend this, it is a different thing, but I would request that they should allow 'Education' to remain in the Concurrent List. They should also bring the administration of the safeguards in respect of the

linguistic minorities under the Concurrent

Lastly, I want to mention two more points. In order to create a congenial atmosphere for national integration it is time for the members of the Union Government not to give stress to talk on any sensitive issues like language or religion. This remark made by Choudhury Charan Singh, which has appeared in the Blitz, is really unfortunate. The way some of the members of the Union Government behave as protagonists of Hindi, has also agitated the minds of many of the non-Hindi speaking people, particularly South Indians. It is good if we create a climate of an understanding and for that the members of the Union Government should also maintain some restraint. Last of all, I would like to make one point and that is regarding the States Reorganisation Commission that has appeared in the press now-a-days. The States Reorganisation Commission,, in its report, had not done proper justice to the linguistic minorities in the country. In that report, it gave more weightage to the political and the economic considerations, and to the linguistic consideration was not very much there and the demands of the linguistic minorities in different States received less attention from the States Reorganisation Commission. And., now, as a result. Sir, this problem is everywhere in this country; and there is a cessassi-nist tendency in many parts. The statements made by Shri Jayprakash Narayan and also the press reports about the thinking of the Home Ministry has created a lot of confusion in the country. Of course, the Prime Minister, I think in Lucknow, yesterday, told the press to go somewhat slow in this matter. You know, Sir, what happened when the States were reorganised. Why should the question be reopened now? It seems he is not in favour of reopening the question now. Any way, he said that the reorganisation of the States can toe considered later in a peaceful atmosphere. The Prime Minister in the statement expressed a lot of restraint. believe

[Shri Nripati Ranjan Choudhury] the other Members of the Union Cabinet will also maintain that much restraint while they show their enthusiasm for Hindi

Sir, with these words, I again request the Minister to take the responsibility for the safeguard of linguistic minorities in the hands of the Central Government. I also pray, Sir, that education should remain in the Concurrent List, and, if they have any contemplation of taking it out of the concurrent list, I would request them not to do so.

With these words, I resume my seat. Thank you, Sir,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Shri Ananda Pathak. There are a large number of speakers. We will have to limit the time.

श्री ग्रानन्द पाठक (पश्चिमी बंगाल) : मान्यवर, यह जो रिपोर्ट है, इससे पता चलता है कि संविधान में जो सुविधाएं लिगविस्टिक माइनर्टीज के लोगों को दं। गई हैं वे व्यावहारिक क्षेत्र में देखा जाए तो नहीं मिल रही हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं है कि भविष्य में क्या किया जाएगा । यह रिपोर्ट 1974 साल के अंत तक महीने की रिपोर्ट है ग्रब तक इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन ग्रा गया हो, ऐसा भी मालम नहीं पडता । क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्ट वार बार आती है तो भी देखा जाता है कि माइनटींज के लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए कि प्राइमरी शिक्षा के बारे में, सैकंडरी शिक्षा के बारे में देखे जाते हैं कि सरकार इन लोगों को ग्रधिक सुविधाएं अभी तक नहीं देपारही है। मेरा कहना यह है कि हमारे संविधान में बोला गया है कि जो लिग्बस्टिक म इनर्टी के लोग हैं उनको कान्न की दृष्टि से समान रूप से देखा जाएगा लेकिन व्यावहारिक क्षेत्र में नहीं होता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि हरिजनों पर, ब्रादिवासियों पर जल्म बढते जा रहे हैं। हरिजनों ग्रीर ग्रादिवासियों पर जल्म हो रहे हैं और नाना प्रकार की असुविधाएं उन्हें हो रही हैं। इसलिए यह सब हटाने के लिए जब तक कोई ठोस प्रवन्ध नहीं होगा तब तक कितनी भी रिपोर्ट निकाल ज.ए. कोई सुधार होने वाला नहीं है। हम यह भी देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर दंगे होते हैं। जब भी दंगे होते हैं उनको सेफगाई नहीं मिलता है। उन लोगों में ग्रसन्तोष फैल जाता है दंगे होते हैं। उन्हें सुविधाएं प्राप्त होती हैं झौर हमें नहीं हो रही हैं जब तक यह फीलिंग रहेंगी तब तक यह दंगे होते रहेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि उनको जो बिशेष स्विवाएं देने की वात कही गयी है उनकों ग्रच्छी तरह से लागू करने की दिशा में कुछ करना चाहिए। परन्तु हम देखते हैं कि हमारी जो मात्भाषा नेपाली है जिसकी मान्यता के लिए इतने दिनों से म्रांदोलन चल रहा है उसके लिए बार बार बोला जाता है कि मान्यता नहीं दी जायगी । इसलिए ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न जगहों पर एक ग्रसहाय ग्रवस्था है। 'हम लोगों को कुछ भी सुविधायें नहीं मिल रही हैं' ऐसी भावना वह रही है। इसलिए मेरा कहना है कि जनता पार्टी की सरकार कुछ नवे दृष्टिकोण अपनाये तब जाकर ग्राप यह ग्रान्दोलन का कारण दर कर सकेंगे नहीं तो जो धारा चल रही है उसी रास ते पर यदि ग्रांप चलेंगे तो जो यह फीलिंग्स हैं वह कभी भी दूर नहीं होंगी। भाषा की वजह से हमारी बहत सी समस्यायें हैं। नेपालियों की संख्या मारतवर्ष में प्राय: 50 लाख है। काफी दिनों से वे अपनी भाषा के बारे में मांग कर रहे हैं। ग्रभी ग्रभी हमारे मंत्री महोदय बोल रहे थे कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में अन्तरम्बत करने से ही सव कुछ समस्या हल नहीं हो जायगी। परन्तु अन्तरमुक्त न होने पर भी बहुत सी सुविधाएं दी जा सकती हैं । मान्यवर, विभिन्न सर्विसेज में एप्लाई करने के लिए ग्राठवीं ग्रनुसूची में वह भाषा होनी चाहिए

ग्रभी कुछ दिन पहले इन्कम टैक्स इंस्पैक्टर के पदों के लिए एप्लाई करने के लिए यह लिखा गया था कि ग्रष्टम ग्रनुसूची में शामिल की हुई किसी एक विशेष भाषा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार ग्रगर कोई नेपाली भाषा के ग्रलावा दूसरी भाषा नहीं जानता है तो वह उस परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो माध्यमिक शिक्षा में 10वीं कक्षा तक उन लोगों को ग्राठवे णिडयूल की कोई न कोई भाषा पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है मान लीजिए कि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है तब भी उसे बाध्य होकर वह भाषा पढ़नी पड़ती है । जैसे य०पी०एस०सी० में जो इक्जामिनेशन होते हैं उसमें भी बोला जाता है कि ब्राठवीं सूची में जो भाषायें हैं उन्हीं में से एक लेकर ग्राप परीक्षा में भामिल हो सकते हैं। तो इसी बात से देखा जाता है कि विभिन्न तरीकों से उन्हें वंचित किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हं कि नेपाली भाषा को संबैधानिक मान्यता देने के लिए, जिसके लिए कि इतने दिनों से ग्रांदोलन चल रहा है, ग्रव समय ग्रा गया है ग्रीर में सदन का ध्यान इस ग्रोर ग्राकपित करना चाहता हं कि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारी नेपाली भाषा के लिए एक शिष्ट मंडल ग्राया था तब हमारे माननीय प्रधान मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई लेकिन वातचीत के बाद जो वक्तव्य निकला ग्रीर उन्होंने जो पर्चा निकाला वह वर्बेटिम था, उसमें दिखायी देता है कि ग्रभी भी वही अनुभव है जैसा पहले था। इसमें शंका प्रकट की गई कि क्या ग्रापकी भाषा यहां की भाषा है, यह तो नेपाल की भाषा है। मान्यवर मैं पूछना चाहता हुं कि यह गवर्नमेंट की धारणा क्यों है कि यह तो नेपाल की भाषा है ? यह तो भारत की सब से पुरानी भाषा है इसकी उत्पत्ति संस्कृति से हुई है, प्राकृत भाषा से बाई है मुलभत रूप से यह भारत से बाई हैं क्षेत्रीय भाषा से जन्मी है। लेकिन यह सब

होते हुए भी क्यों यह बोला जाता है कि यह नेपाल की भाषा है, भारत की भाषा नहीं है। यह बहुत अन्याय की बात है। यह भाषा इतनी समृद्ध भाषा है कि यह केवल हमारे दार्जिलिंग में ही नहीं बोली जाती है बल्कि सिक्किम में, ग्रासाम में बोली जाती है ग्रीर भारत के विभिन्न राज्यों ग्रीर सब पहाड़ी जगहों में भी बोली जाती है। ग्रभी ग्रभी सिक्किम विधान सभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया गया है कि इस भाषा को अप्टम सूची में अन्तर्भृत किया जाए और इसके आगे ही पश्चिम बंगाल सरकार में वहां की विधान सभा में एक-मत होकर प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को निबंदन किया गया है कि इस भावा को संविधान की अण्टम सूची में श्रंतर्भृत किया जाए । इसलिए महोदय, मैं आपका ध्यान इस आरे आकृष्ट करना चाहता हं कि नेपाल भाषा-भाषी लोग, जो 50 लाख से ज्यादा यहां हैं, बहुत ग्रसन्तुष्ट हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं यह भाषा इतनी समृद्ध है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, नेपाल है, भटान है, दूसरी जगहें हैं जहां नेपाली भाषा का प्रचलन है । इस रिपोर्ट में जब मैंने पढ़ कर देखा तो रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि विभिन्न जगहों मे सरकारी रूप से यह माना गया है कि आसाम में इसका ग्रस्तित्व है, मेघालय में है, सिक्किम में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है। तो यह सब होते हुए भी, इसके समृद्ध होते हए भी इसको ग्रष्टम सूची में ग्रंतर्भृत करने के बारे में ग्रस्वीकार किया जाता है।

ग्राखरी बात मुझे यह कहनी है कि जो हमारे संविधान की 351 धारा है उसमें कहा जाता है कि हिन्दी को समृद्ध करने के लिए यह ग्रनुसूची रखी गई है। हमारी जो नेपाली भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, हमारी लिपि के साथ उसका बहुत मेल खाता है। यदि यह स्थिति है तो हिन्दी को समृद्ध

श्री बातन्द पाउकी

करने के लिए नेपाली जितनी सहायक हो सकती है हमारे संविधान के ग्रंतर्गत दूसरी भाषा नहीं हो सकती है। हम समझते है हिन्दी को ही एक लिक के रूप में नहीं बनना है क्योंकि यह तो कोई राजतांत्रिक पद्धति नहीं होगी । ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता जब हमारे देशवासी एक भाषा को वाल्युंटरली, स्वबेछा-पूर्वक स्वीकार कर लेंगे तब यह हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हं कि देश की सब भाषाओं को मान्यता देनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, समद्ध करना चाहिए। ग्रभी यही बात बोल रहे है हमारे मंत्री महोदय भी बोल रहे है ग्रीर हमन्रे दूसरे माननीय सदस्य भी बोल रहे है । जब हमारा यह मकसद होगा कि सभी भाषात्रों को बढ़ावा देंगे, चाहे कितनी छोडी नाषा हो हम उसको समद्भ करेंगे तो हमारी भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता को जोरदार वल मिलेगा । अगर हम इस भाषा को मार्नेगे उस भाषा को नही मार्नेगे यह मेरे विचार में होगा। ऐसा करने से हमारे देशवासियों को विषेश सुविधाएं नहीं मिलेंगी । ग्रगर किसी को सरकारी सर्विसेज की परीक्षाएं देनी है तो अगर जिस भाषा में परीक्षा देनी है उसका ज्ञान नहीं है तो उसको कठिनाई होगी । इसलिए मेरा विचार है कि ग्रष्टम सुची को ग्रीर विस्तार किया जाए ग्रीर सभी प्रचलित भाषात्रों को स्वीकार किया जाए जिससे किसी को रुकावट नहीं होगी । लेकिन जब तक यह नहीं होगा तब तक दूसरी भाषा जो समर्थ होगी, जिसमें सब गुण होंगे उसको इसमें ग्रंतर्भक्त करना ही होगा Time bell rings.

श्रंत में मैं एक दो बात श्रौर कहूंगा। श्रभी हमको भाषायी श्रल्पसंख्यकों को बढ़ावा देना हैं लेकिन उसके साथ ही हम को उन्हें देश की मेन-स्ट्रीम में शामिल भी करना है। वह भी हमारे इस देश के नागरिक है, वह भी देशभक्त है यह भावना जगाने के लिये विभिन्न जगहों में, विशेष करके पश्चिमी बंगाल में, दार्जीलिंग के पहाड़ी इलाकों में जहां बहुसंख्यक नपाली भाषा के लोग हैं उनको स्वायत्त शासन का श्रिष्ठकार प्रदान करना चाहिए और उनके सामाजिक विकास के लिए उनकी यह स्वायत्त शासन की मांग को हमको मान लेना चाहिए । ऐसा होने से उनका संकोच दूर हो सकेंगा और उन के मन में यह भावना खायेगी कि वह भी राष्ट्र के साथ और राष्ट्रीय प्रगति में भागीदार है । इसलिये पिश्चमी बंगाल में नेंपाली भाषा-भाषी इलाकों में उनकी स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया जाये ताकि वे भी देश की मेन-स्ट्रीम के साथ आगं खाकर, आगे वह सकें और अपना विकास कर सकें

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Most of the speakers are from the Congress Party. I think the time has to be restricted to 5 minutes. Otherwise, there is no time and the Minister has to reply.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : इतने महत्व का सवाल है ग्रीर इस पर ग्राप केवल पांच मिनट बोलने को कह रहे हैं।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SA-LEEM (Andhra Pradesh): Sir, can you imagine that anybody could express himself in five minutes?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down.

श्री कल्पनाथ राय: ग्रिझिट्टाता महोदय, यह भाषा का सवाल एक राष्ट्रीय सवाल है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down, Mr. Kalp Nath. Why do you stand when I am standing? I am just saying that there is a long list. Because there is a long list—list after list is coming—it becomes necessary to reduce the time. But, if the House wishes to continue the debate on Wednesday also, I have nothing to say.

Therefore, please sit down... (Interruptions). Why do you get excited? I am just putting the whole thing before the House. There is a long list of Members. I can speak to your Whip also to see whether we could organise it that way. If it cannot be done, then I cannot do anything. Anyway, we have to adjourn at 5 o'clock. If you can kindly co-operate with me, it can be done. Now, I will call Mr. Waid.

श्री कल्पनाथ राय : इस पर पांच मिनट में ग्रपनी बात नहीं कही जा सकती ।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, I was submitting... (*Interruptions*). If you are adjourning

(Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): It is not a question of my adjourning the House at my will. The House will be adjourned at 5 o'clock. If the discussion is to continue,, I have nothing to say about it. But you should not say that I have adjourned the House. It is not so. Because of the long list, I am just putting it before the House and it is for the honourable Members to decide. The Whip is here on this side and the Whip is there on that side also and, so, let them decide.

श्री कल्पनाथ राय : ग्रादरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, ग्राप देखें कृपा करके यह बड़ा सबाल है ग्रीर यह सबाल ऐसा नहीं है कि दो, तीन या पांच मिनट में इस पर बात कह दी जाय । इस पर पूरी डिवेट होनी चाहिए। इस लिये कृपा कर ग्राप बोलने का हम लोगों को ग्रवसर दें, वरना ग्रभी बहस खत्म कर दें ग्रीर हम लोग घर जायें।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, it is such an important thing... (*Interruptions*). It is a subject of vital importance. You know that this is a subject on which many persons from this side and also from that side want to* express their views. Sir., suppose you were on your legs.

Would you have been satisfied if you were allotted only five minutes? This is such an important subject . . . (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA); That is why I say that the whole thing is before the House.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: What I am submitting is that if the debate cannot be completed today, you have it tomorrow, because this is a very important subject. It is not that you can ask one person to express himself in such a short time...

(Interruptions)

श्री कल्पनाथ राय: सदन के नेता से मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन का समय 6 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये। इतनी मोटी रिपोर्ट पर कैसे बहस होगी। मैं इसलिए नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, these two Reports are bulky Reports. What for have they been circulated? What is the object of circulating them?

SHRI KALP NATH RAI: What is the object?

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): One at a time, please. The Minister of State for Parliamentary Affairs is sitting now here and if you want, he can say something on this.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, what I am submitting is this... (*Interruptions*).. I would like to submit respectfully, Sir... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down. Is it your view that time should be extended till Wednesday?

DR. RAM KRIPAL SINHA: The Business Advisory Committee considered the matter and the leaders on the other side were also present. They agreed and decided that time allotted should be one day. So one day was allotted. On Wednesday we have another important subject, that is, Samachar,, that Is going to be discussed. Now it is open to the Members. If they want to continue...

AN HON. MEMBER: You can extend it for one" hour at least.

श्री कल्पनाथ राय : कृपया इसको बढ़ा दीजिए, बहुत महत्व का सवाल है । श्रीमन, एक दिन के लिए हाउस अलाट हुआ और आज दो बजे यह शुरू हुई डिबेट, इस बीच में आन्ध्र का साइक्लोन आ गया, उस पर बहुस होने लगी । यह राष्ट्रीय सवाल है ।

DR. RAM KRIPAL SINHA: The Business Advisory Committee has allotted time of one day.

SHRI SIKANDER ALI WAJD: How many hours?

DR. RAM KRIPAL SINHA: One day...

(Interruptions)

श्री करपताथ राय: ग्रादरणीय उपसभा-ध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा कि नहीं ?

DR. RAM KRIPAL SINHA: One day means up to 5 p.m. But if the House so desires, I have no objection in continuing for one hour more, up to 6 p.m. इतने दिनों तक आप बहस में भी नहीं लाये, हमारी गवनमेंट ने तो इसकी बहस में ला दिया।

AND LOWE (Interruptions) 7H2

ें, डा॰ चन्द्रमणि लाल चौधरी: श्रीमन, हिन्दुस्तान में ग्रत्यसंख्यकों की जिन्दगी का सवाल है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA):\ We have already lost 5 minutes. I am requesting Dr. Ram Kripal Sinha and Mr.

Bipinpal Das to discuss the matter. By that time, let him speak. Yes, Mr. Sikander Ali Wajd.

شرى سكندر على وج**د** : عالى جناب دپتی چیرمین صاهب - یه رپورٹیں کانگویش کے زمانہ کی ہوں – جن پر يہاں بحث هو رهي هے -ایک اور رپورت اردو کے حلسله مهر رکھی ہوئی ہے - گجرال کبیٹی کی رپورے اس کو شائع نہیں کر رمے هيو - آپ اس کو شائع کر دين -دوسوی بات معجهے به کہلے ہے ته اردو کے سلسلم میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جلتا کی بات ٹہیں کر رہا ھوں کانگریس کی پات ٹیھی کر رها هوں - اس حمام میں سب تلکے ھیں - تیس برس سے اردو کا مسئله ایسے هی پیش هو رها هے - کانگویس اردو الوں سے کہت رهی تھی که اب تصفيه هو جائيكا يه هو جائيكا ولا ہو جائیکا - آپ کو کلسٹی ٹیوشق کی دفعات ۲۹ ه ۲۳۷ و۲۳۷ دیکھلی چاہئے۔ ہمارے ہوم منستر صاحب نے ایک محمد و فریب انٹرویو دیا ہے - وهی هوم منستر صاحب تو همارے بھی ھیوں - ہاھر کوئی نہیں پوچھے گا جنتا کے هیں که کانگویس کے -ایسی بات انہوں نے کی اردو کے بارے که لوگ هلسهگے - ت چودھوی صاحب نے یه کہاں ھے کہ ارداو ترکوں اور مغلوں کے

میں هدوستان نے بہت ہوے هستورين دائتر تاراچند كى بات كهتا هوں جلہوں نے هادوستان کی آزادی کی تاریخ چار جلدوں میں لکھی ہے۔ أنهوں نے 10 فروری 190۸ کو فرمایا تها جو هلائي والبم لي جا وفي هے ولا بدیشی انگریزی ہے۔ زیادہ مشکل ھے - ھادوستان کے ایک تھائی کے قریب آبادی اس نهذیب کی پیر، نہیں ہے جس کے ساخت سنسابرت زبان میں هیں - ۱۸۵۷ کے بعد المریزوں نے اردو کو مسلمانی زبان بنا دیا - بہار کے گورٹر نے شہروں کا دورہ کیا اور اردو کے خلاف دھواں دھار لیکھورس دیائے اور انگریزی کے عالموں نے هندوستان کی زبان میں گرامو لکھی ہے اور یہ ثابت کرنے کے کوشش کی که اردو کسی علاقه کی زبان نہیں ہے - مہاری ڈکشٹری میں ہے کہ ۷۵ فی صدی لفظ **مد**دی کے امیں ∸ کريټوسن اور چټر جي په فيالوجست هين ۽ عونون مانتے هين له کړوي بولی سے پہلے اردو کی ادبی زبان نکلی-اس کے کئی سو سال بعد انیسویں صدی میں اسی بولی سے ادبی ہدی نے جلم لها - هلدوستان کی چوده زبانون مهن اردو اکهای ایسی زبان هے جو هندوستان کی روایتوں کی ترجمانی کرتی ہے - آئین کی دفعہ ۳۳۷ کے تحت ہر رہاست میں اِسکو ' سركاري زمان كا درجة ملقا چاهئے- اس لئے که دنیا میں زیادہ در ملک ایسے هیں جہاں در باتیں زبانوں کو سرکاری سطع پر تسلیم کیا گھا ہے - مجھے آپ کا بیان سن کہ ایک انگریزی جملت یاد آتا ہے - ایک بامید کیا ہے۔ ایک کی

جاهل کی جسارت—انہوں نے آس جسارت کا ثبوت دیا جس سے ــب تلگ ههر- ایک بات میں کہم دوں که جلتا کے لیڈروں کے بارے میں وہ ساف ہات کہتے میں چاہے کیسی بھی مو -نتهجه یه هوا که اردو والے جو خوش فہمی میں تھے ولا دور ھو گئی -کانگریس نے اس کے لئے کنچھ زیادہ نہیں کیا - مگر آپ تو کہتے ھیں کہ کریلگے بھی نہیں ۔ آپ نے صاف کر دیا اس مسئلے کو۔ مجھے خوشی ہے هم كر كچه اميد تهى كانگريس والون سے لیکن آب وہ امید بھی مت گئی-آپ نے صاف کر دیا که چار چهه مهیئے هی میں که اردو کا کوئی مقام نهمن هے - يه بے كار هے دستوريا أثين جو بنایا ہے - سرار جی بھی یہی کہتے هیں اور چودهری چرن سنگه بھی یہی کہتے میں - ممارے آئین مهن أردو كو جو حتى ديا گها هے وة نهون ملتا هے - تسلیم کا سوال بعد میں آتا ہے - ایک اور ہندو لیڈر تھے جو کاندھی جی کے بعد آئے اور همارے دال مهن بہت ان کی عزت ہے - وہ صاف بات کوتے ۔

[شری سکندر علی وجد] تھے کہری بات کرتے تھے وہ راجہ جھی هیں - راجه جی نے ۲ جارری 1941 کو کہا تھا وہ اردو کے ساتھ بوی ہے ا<mark>نصافی</mark> ہوئی <u>ہے</u> اور یہ بےاتصافی همارے دامن پر بوا دهیه هے داغ هے یہ استہلی کا فیصلہ کاندوی جی کی ملشا کے خلاف ہے ۔ کانگریس کی تجاریز کے خلاف ہے - اُٹلے ہوے ملک کے لئے جو روس کو چھوڑ کر پورے یورپ کے ہرابر ہے قطعی نامقاسب ھے دنیا میں ۳۳ سے زیادہ ملک ایسے هیں جن کی دو یا تھن سرکاری زبانين هين - سوٿزرلينڌ کتنا چهوٽا سا ملک ہے لیکن اس میں چار زبانين هين - فريليم - جرمن -اطالوی - رومانش به سرکاری زبانین ھیں ۔ اس میں رومان کے +0 هزار سے زیادہ بولنے والے نہیں هیں -میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی چوده زبانون کو سوااری زبان کا درجه ملقا جاهلے - کاندهی چی نے هلدوستانی کی تائید کی تھی - گاندھی جی کے سارے جانے سے زبان کا سوال نہیں سر گھا -یه پهر اُبهرے کا - اُردو دیم کی جهتی زبان هے - چار کروز لوگ اس کے بولئے والے هیں - مهن ایک بات آپ سے کہوں کا - شاہ عالم بہادر شاہ کو بچب غلام قادر روهیلے نے اندھا کر دیا تو مادهو جی سندهما نے انہیں 🏄 ایدی پداه میں لے لیا - اس موقعه

یر مجهے شاہ عالم کا ایک شعر یاد آتا 🙇 - مادهو جي سندهها فرزند جگر بند من هست - یه مهری ارلاد کے برابر ہے - مہری حفاظت کر رہا ہے آب اردو کا یہی حال ہے اردو کو سرھاتے یال رہے ھیں ۔ اردو کے لئے کوئی اور بوالمے کے لئے تھار نہیں ہے - صرف مها راشتر میں اردو کے آتھے کالم اور اتلے ٹیچر عیں جانے سارے علدوستان میں نہیں ہیں۔ اردو کے متعلق ان کا دماغ صاف هے انہیں اپلی زبان يسند هے ليكن ولا أردو كو يهى هندوستان کی زبان مانتے هوں اردو کا جلم يهين هوا هے اور مراثهی کا ہوی جنم یہوں ہوا ہے - مہاراشٹر مين هنين کچه ارز شکايتين هين لیکن زبان کے معاملہ میں مہاراشتر کا روید صاف ھے۔ هماری جو اردو الادمى هے اس كے صدر همارے چيف منستر بسنت دادا باثل هين ليكن آپ کی یو - پی میں اردو اکاقسی توت کئی ہے وہاں کے لوگوں نے ریزائن کو دیا ہے۔ اور اس میں اب ہندی والے بھرتی ہو رہے میں وہ یوی ختم هو جائيگي - مين چاهتا هون که هددوستان کی چوده زبانوں کی طرح اردر کو بھی حق دیا جائے - مجھ ہوا افسوس اور دکھ ہوتا ہے جب میں ہوے ہوے ذمہ دار منسٹروں کے بھانات اور تقریریں اردو کے مسئلہ پر پوهندا هون - جو سب لوگ يهان

لوگ کہتے رہتے ہیں ارے بھٹی یہ بات نہیں ہے لیکن میں کہنا چاہتا ھوں کہ اردو کے بارے میں اگر پرائم منسٹر کی بات تہ مانیں تو پہر کس کی بات مانین - چودهری چرن سلکه جو هوم منستر هين ان کي بات نه **مانی**ن تو کیا پهر آپ کی بات مانین ? انہوں نے خود یہ بانیں کہی ہیں۔ زبان کے مائلے نه مائلے کا سوال نہیں ھے - اس میں ہندی والوں کی منظوري کا بھی سوال نہیں ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے که ۸۵ فی صدی هددی والے بن اگر وہ اردو نہیں سانیں کے تو کس طرح اردو ہو - پی کی سرکاری زبان بن سکتی هے يه هندی والوں کا حوال نهیں ہے وہ تو قیامت تک بھی نہیں مانیں کے - ان کے سرپرست تو آپ يهان بهٿي هوئے هيں - ل يه هے که آپ کلستی تیوشن کی ۳۲۷ وين دفعه بهى نهين پوهه سكتے هين - چودهري چرن سلکه اگر اس کو نہوں سنجہ سکتے تو ان کے پاس تو بیء بیء لائق لوگ ھھن سیکریٹریز ھھن جو قانون کے ماھر میں ان سے اس دفعہ کے معلی آپ سمجھ سکتے ھیں ۔ چودهری جرن س**نگ**ه کو یهی اب لهلا حساب دینا پچے کا اب تک سب سے حساب لیا گیا ہے۔ زبان کے معاملے میں کانگریس سے بھی هم نے حساب لیا ہے۔

بهائهے هوئے هيں۔ اس بات کو جانگے هين که جو بيانات اور تقريرين نكلتي میں ان کو کسی نے کلٹراڈکٹ نہیں کیا ہے - یہ چودھری چرن سنگھ کا انقرویو ہے اور انہوں نے اپنے علم کا اس میں اظہار کیا ہے ۔ سین کہتا عوں که کم سے کم باہر کے ملکوں میں تو آپ ایے کو بدنام نه کپچئے هلدوستان کی تاریخ میں اردو کی کیا جگه ہے۔ اس بات سے ہددوستان کے لوگ اور الکلستان کے لوگ سبھی واقف هیی مگر آب ایک بات صاف هوگئی کہ آپ لوگوں نے زہان کا مسمُلہ صاف کر دیا - اب اردو والوں کو کوئی غلط قهمي نهجي رهلي چاهگے - مين اردو والوں سے کہتا ہوں کہ بھائی گهیراو نه کرو نه کوئی ستیه گره کرو اور نہ کوئی ایسا کام کرو جو قانوں کے خلاف هو ليكن أبهى اليكشن أرها هم جن لوگوں نے کانگریس کو کرسی پر بتهایا تھا انہیں لوگوں نے کانگریس کے خلاف اینا ورت دیا کیوں کم کانگریس نے اردو کے ساتھ انصاف نہیں کیا -اب آپ لوگ آئے ھیں اور آپ نے اس طرم کے اعلان کئے شیں اس لئے آپ لوگ بھی نہیں رھیلگے ۔ آپ کی پالیسی کیا ہے یہ بات منابی سنجھ میں ثبیں آتی کسی نے اٹھیک ھی کہا ہے۔ کہ انیس منسٹر نہیں میں أنيس برائم ماستر هين - هر أدمي كا أينا دماغ هـ أور هر أدمي پالیسی ذکلهریشن دیتا رهتا هے - کچه

[شری سکددر علی وجد]

تین ۔ب ہے ہوے محکمی هين - ايک هوم منستري - ايک انفارميش اينق براة كاستنك منسترى اور ایک ایجوئیش منستری هے -ان تهلی نے مل او اودو کو برہاد کیا ہے - مجھے یاد ہے که کلسلٹیار کمیڈی کی مہلائے میں جس مين كجرال صاحب اور دوسريم پریس کے لوگ بھی شامل تھے۔ اندراجی ہے میری بات چیت ہوئی تھی میں نے ان سے کہا کہ هم آپ سے اردو کی تعریف ساتے ساتے تهک گئے اب اے کے لئے کچہ بجئے گنجرال صاحب نے کہا کہ اردو ایک بوی زیان هے - عماری حکومت اس کو آئے۔ بوہائیگی لاکن میں ایے اندراجی سے کہا ته آپ کا حکم هر معمليے ميں چلتا ہے سرف ریکیو کے قبارت یقت اور اندارمیشوں اور براہ کسٹلگ کے محکمہ میں تہیں چلتا - گجرال عاصب نے کہا کہ اردہ کے سانہ ایک تاریخی لیکیسی ہے وجد ساهب جو اعتراض کر رهے هين ولا صحفيم في - بهائي هم تو کسی کو نہیں بخش سکتے -کسی کو نہیں بخشیلگے - اس لگے تہیں که اردو میری زبان ہے - مہن اس كا شاعر هون - بلكه اس لله كه یه هادوستانی زیان هے -

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Wajd,, I think you have to stop now.

شری سکندر ملی وجد : دو مقت اور نین گا - سین اودو کا آدمی هون – مین جو بات که رها هون وه سوچ سنجيکر کهه رها هون - هماري ياس غالب اور اقبال روے شاعر ههن - مهن نے غالب كا ديوان ديوناگري مين لكها هـ ایک ساوته اندین سے پوهوایا - سیس ان سے هندی پوعتا تها - انہوں نے يون يوعا -1.1

كسير خبر كه هؤارون سقام وكهتا هر-ولا فكر جس مين ۾ پهيدن روم تراني- -†[كسے كهبر كه هجاروں مكام ركهتا ہے وہ پھکر جس میں ہے پہردہ روحکرانی]۔ دوسوا شعر هے -

مہرے میلائے فؤل میں تھی درا سیبا ی شیخ دہما ہے کہ یہ بھی مے حرام اے ساقی †[مهري مهذا_گجل مهن تهيهواسي باكي شیکه کهتا هے کی یہ بھی بھے حوام اے سکی] ع کیا وہ نبروہ کی خدائی تھی۔ †[کیا ولا نبرود کی کہدائی تھی -] ۔ نه تها کچه تو خدا تها - کچه نه ا هوتا تو خدا هوتا الله ساما ال †إنه تها كچه تو كيدا تها - كچه له هوتا ا تو کهده هوتا -[- اتابات الاستا ایک شعر اقبال کا ہے ۔ آب، اورہ يا منجهج هونگے - سبهی هادی والے

للسلاف المتعافضات فعياما المتاكل

اردو سنج پے ہیں – جهوف بولانے बार्स के किस्सा स्टब्स्ट - मार्स े हिन्दास को निर्धायकों की नेते-सम्ब اگر کهر گیا ایک تشیمن تو کیا هم -مقامات آه و فغان اور بهي هين -اگر کهوگها آگ نشهمن تو کها گم مكامات ألا و يهكان أوريوس هين ١٠٠٠] ساته زبان کا گهرا تعلق هے اور جواهر الل نہرو نے اپنی اثو کرافی سیں لکھا ہے -هر زبان کی ایک لههی یعلی ایک رسم الحظ هرتا هے لیوں کے ساتھ زبان کا جسم و جان کا تملق هوتا هے - جب ليهي بدل چاتي هے تو لفظ بھی بدل جاتے هیں ان کی شکل بدل جانی هے اور ان کے سعلی بدل جاتے ہیں أم يلدَّت جواهر الل نهرو تو أوته ذيتين هو كئے - أب حالات بدل كئے ههن - پهلے اجو لوگ يهان بهايے تھے ولا أج ملسائر هو كأير -اردو كا ايك केर के कि से सि सर्व के कोई मजाप

ایسے ویسے کہسے کیسے ہوگائے – کہسے کیسے ایسے ویسے ہو گائے – ر

اردو ہوی مفعل زبان ہے جیسے صبع هوتی ہے شام هوتی ہے - عمر یونہی تمام هوتی ہے اسا اللہ علاقات الاتا اللہ

میں نے ۱۰ سال آمیں اجنتا پر نظم لکھی اور ۱۰ برس میں ایلورا پر نظم ککھی کھا الجلتا اور ایلورا هندی والوں نے نہیں دیکے تھے

श्री श्रीकान्त वर्मा (मध्य प्रदेश) : में उर्दू के फेवर में बोनने वाला हूं। श्राप हिन्दी का मखोल उड़ा रहे हैं। यह उचित नहीं। उर्दू से हिन्दी का कोई झगड़ा नहीं है।

شرى سكادر على وجد : مخالفت 'کی بات تہیں ہے - جو دوسرے کی زبان کی عزے نہیں کرتا وہ ایٹی زبان کی پھی عرب نہیں کرتا - میں کسی زبان کی ہے عزتی نہیں کر بھا عوں۔ آپ ہے میں اتنا مرض کرنا چاھتا ھوں کہ جو اردو کا حق ھے جو اس کو قانوں نے دیا ہے جو دسترر کے دیا ہے ولا آپ اس کو دیجئے - اردو والے آپ کی سرپرستی آپ کی مہرہانی نہیں۔ چاهتے مرف انصاف چاهتے هیں -منصهر امید ہے اپ اپنے بزرگ مرارجی تىسائى اور عالم فاضل چرن سلكهچى کو بھی یہ بات سمجھا دیں گے - یہ ھلسنے کی بات نہیں ہے – میں کیوںکا که مهری یات اگر انہیں تابسلد ھے۔ تو فصہ کر سکتے میں لیکن پہ هفسل کا موقعه نهیں ہے - بوہ برزی े स्टिमां में दिशाना की स्वान में 🕇 भी सिकन्दर ग्रली वज्द : ग्राली

जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, ये रिपोर्ट कांग्रेस के जमाने की हैं जिन पर यहां बहस हो रही हैं —एक ग्रीर रिपोर्ट उर्दू के सिब-सिले में रखी हुई है, गुजराल कमेटी की रिपोर्ट । उसको शाया नहीं कर रहे हैं । ग्राप उसको शाया कर दें । दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि उर्दू के जिलसिले में, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जनता

t[] Hindi pronunciation.

t[] Devanagari transliteration.

[श्री सिकन्दर ग्रली वज्द]

की बात नहीं कर रहा हं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। इस हमाम में सब नंगे हैं। 30 बरस से उर्दू का मसला एसे ही पेश हो रहा है। कांग्रेस उर्द्वालों से कह रही थी कि अब तस्फीया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वे हो जाएगा । ग्रापको कांस्टीट्यूशन की दफात 29 या 345 347, 350 देखनी चाहिये । हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक ग्रजीबो-गरीब इंटर-•यू दिया है। वहीं होममिनिस्टर साहब तो हमारे भी हैं - बाहर कोई नहीं पूछेगा कि जनता के हैं या कांग्रेस के हैं। ऐसी बात उन्होंने उर्द के बारे में की लोग हंसेंगे। तुम्हारे चौधरी साहब ने यह कहां पढ़ा है कि उर्दू तुर्को ग्रीर मुगलों की जबान है। मैं हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्टोरियन डा० ताराचन्द की बात कहता हूं जिन्होंने हिन्दुस्तान की ग्राजादी की तारीख चार जिल्दों में लिखी है --इन्होंने 15 फरवरी, 1958 को फर्माया था जो हिन्दी राईज की जा रही है वह विदेशी ग्रंग्रजी से ज्यादा मश्किल है। हिन्दुस्तान की एक तिहाई के करीब आबादी उस तहजीब की पैरो नहीं है जिसके माख्ज संस्कृत जबान में है। 1857 के बाद अग्रेजों ने उर्द को मुस्ल-मानी जबान बना दिया । बिहार के गवर्नर ने शहरों का दौरा किया और उर्द के खिलाफ धम्रांधार लेक्चर दिए ग्रीर ग्रग्रेजी के आलिमों ने हिन्द्स्तान की जबान में ग्रामर लिखी है ग्रौर ये साबित करने की कोशिश की है कि उर्दू किसी इलाके की जबान नहीं है । हमारी डिक्शनरी में 75 फीसदी लब्ज हिन्दी के हैं । ग्रसन और हैं । दोनों चटर्जी ये फिलालोजिस्ट मानते हैं कि खड़ी बोली से पहले उर्द् की भ्रदबी जबान निकली । इसके कई सौसाल बाद उन्नोसवी सदी में इस बोली से ग्रदकी

हिन्दी ने जन्म लिया । हिन्दुस्तान की चौदह जवानों में उर्दू अकेली ऐसी जवान हैं जो हिन्दुस्तान की रियायतों की तर्ज-मानी करती हैं । आईन की दफे 347 के तहत हर रियासत में उसको सरकारी जवान का दर्जा मिलना चाहिये । इसलिए कि दुनियां में ज्यादातर मुक्क ऐसे हैं जहां दो या तीन जवानों को सरकारी सतह पर तस्लीम किया गया है । मुझे आपका बयान मुनकर अंग्रेजी ज्मला याद आता है ।

Audacity of the ignorant

जाहिल की जिसारत -उन्होने इस जिसारत का सब्त दिया जिससे सब तंग हैं। एक बात मैं कह दूंजनता के लीडरों के बारे में वो साफ बात कहते हैं चाहे कैसी भी हो । नतीजा यह हम्रा कि उर्दुवाले जो खशफहमी में थे वो दूर हो गई। कांग्रेस ने उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं किया । मगर ग्राप तो कहते हैं कि करेंगे भी नहीं ग्रापने साफ कर दिया इस मसले को । मुझे खुशी है । हमको कुछ उम्मीद थी कांग्रस वालों से ग्रब तो वो उम्मीद भी मिट गई । ग्रापने साफ कर दिया चार छः महीने ही में कि उर्द का कोई मुकाम नहीं है--ये बेकार है। दस्तुर या ग्राईन जो बनाया है--मोरारजी भी यही कहते हैं और चौधरी चरण सिंह भी यही कहते हैं हमारे आईन में उर्दू को जो हक दिया गया है वह नहीं मिलता है। तालीम का सवाल बाद में ग्राता है। एक ग्रीर हिन्दू लीडर थे जो गांधी जी के बाद ग्राये ग्रीर हमारे दिल में बहुत उनकी इज्जत है। वो साफ बात करते थे, खरी बात करते थे वह राजाजी हैं। राजाजी ने 6 जनवरी, 1971 को कहा था कि उर्दू के साथ बड़ी वेइन्साफी हुई है और यह वेइन्साफी हमारे दामन पर बड़ा धन्बा है, दाग है-यह ग्रसेम्बली का फैसला गांधी जी की मन्गा के खिलाफ है। कांग्रेस की तजावीज के खिलाफ है। इतने बड़े मुल्क के लिए जो रूस को छोड़कर पूरे युरोप के बराबर है कतई नामनासिब है। दुनियां में 43 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जिनकी दो या तीन सर कारी जुवानें हैं। स्विटजारलैण्ड कितना छोटा सामुल्क है लेकिन उसकी चार जुबानें हैं। फ्रैंच, जर्मन, इतालवी ग्रीर रोमांश--ये सरकारी जुबानें हैं। इसमें रोमानश के 50 हजार से ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं मैं चाहता ह कि हिन्दुस्तान की चौदह जबानों को सरकारी जुबान का दर्जी मिलना चाहिये । गांधी जी ने हिन्दुस्तानी की ताईद की थी। गांधी जी के मारे जाने से ज्वान का सवाल नहीं मरगया। यह फिर उभरेगी। उर्दु देश की छठी जबान है। चार करोड़ लोग इसके बोलने वाले हैं---मैं एक बात ख्रापसे करंगा--णाह ग्रालम बहादुरणाह को जब गुलाम कादिर रोहल्ले ने अन्धा कर दिया तो माधोजी सिधिया ने उन्हें अपनी पनाह में ले लिया। इस मौके पर मुझे शाह ग्रालम का एक गोर याद ग्रारहा है। "माञ्रो जी सिधिया पारजद जिगर बन्देमन हस्त"। ये मेरी ग्रौलाद के बराबर हैं, मेरी हिफा-जत कर रहा है आज उर्द् का यही हाल है उर्दको मरहटे पाल रहे हैं उर्दके लिए कोई और बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र में उर्द के इतने कालिज और इतने टीचर्स हैं जितने सारे हिन्दुस्तान में नहीं हैं। उर्दु के मृत्तलक उनका दिमाम साफ है । उन्हें अपनी जबान पसन्द है लेकिन वे उर्द् को भी हिन्द्स्तान की जवान मानते हैं । उर्द का जन्म यहीं हुआ है ग्रीर मराठी का भी जन्म यहीं हुन्ना है। महाराष्ट्र में हमें कुछ ग्रौर शिकायतें हैं लेकिन जवान के मामले में महाराष्ट्र का रवैया

साफ है। हमारी जो उर्दू एकेडमी है उसके सदर हमारे चीफ मिनिस्टर बसन्त दादा पाटिल हैं लेकिन ग्रापकी यु० पी० में उदं एकेडमी टूट गई है । वहां के लोगों ने रिजाइन कर दिया है ग्रीर उसमें ग्रब हिन्दी वाले भर्ती हो रहे है। वे भी खत्म हो जायंगी। में चाहता हूं कि हिन्दूस्तान की 14 जुवानो की तरह उर्द को भी हक दिया जाये। मुझे बड़ा अफसोस और दःब होता है जब मैं बड़े बड़े जिम्मेदार मिनिस्टरों के वयानात ग्री (तकरीरें उर्द् के मसलों पर पढ़ता हूं। जो सब लोन यहां बैठे हुए हैं इस बात को जानते हैं कि जो बया-नात ग्रौर तकरीरें निकलती हैं उनको किसी ने कंद्रिडिक्ट नहीं किया है। ये चौधरी चरण सिह का इंटरव्यू है ग्रीर उन्होंने ग्रपने इल्म का इसमें इजहार किया है। मैं कहता ह कि कम से कम वाहर के मुल्कों में तो श्राप अपने को बदनाम न कीजिये। हिन्दुस्तान की तारीख में उर्दू की क्या जगह है ? इस बात से हिन्द्स्तान के लोग और इंगलिस्तान के लोग सभी वाकिफ हैं मगर ग्रव एक बात साफ हो गई कि ग्राप लोगों ने जुबान का मसला स'फ कर दिया। ग्रव उर्द् वालों को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए । मैं उर्द्वालो को व्हता हं कि भई घेराव न करां न कोई सत्याग्रह करो ग्रीर न कोई ऐसा काम करो जो कानून के खिलाफ हो लेकिन सभी इलेक्शन या रहा है जिन लोगों ने कांग्रेस को कुर्सी पर बिठाया था उन्हीं लोगो ने कांग्रेस के जिलाफ अपना वोट दिया वयोंकि कांग्रेस ने उर्दू के साथ इन्साफ नहीं किया ग्रब बाप लोग बाये हैं और बापने इस तरह के एल,न किये हैं इसलिये आप लोग भी नहीं रहेंगे। श्रापकी पालिसी क्या है ये बात हमारी समझ में नहीं आती । किसी ने ठीक ही कहा है कि उन्नीस मिनिस्टर नहीं हैं उन्नीस प्राइम मिनिस्टर हैं। हर ब्रादमो का ब्रपना दिमाग है ग्रीर हर ग्रादमो पालिसी डिक्लेरेशन देता रहता है। कुछ लोग कहते रहते हैं अरे भई यह बात नहीं है खेकिन मैं कहना चाहता हूं [श्री सिकन्दर ग्रली वज्द]

कि उर्द के बारे में ग्रगर प्राइम मिनिस्टर की बात न मानें तो फिर किसकी बात मानें। चौधरी चरण सिंह जो होम मिनिस्टर हैं उनकी बात न मानें तो क्या फिर ग्रापकी बात मानें? उन्होंने बद ये बातें कही हैं। जबान के मानने न भानने का सवाल नहीं है। इसमें हिन्दी वालों की मंजुरी का भी सवाल नहीं है। ये कह दिया जाता है कि 95 फोसदी हिन्दी वाले हैं। ग्रगर वो उर्द नहीं मानेंगे तो किस तरह उर्द् यु॰ पी० की सरकारी जुवान बन स हती है। यह हिन्दी वालों का सवाल नहीं है वह तो कयामत तक भी नहीं कहेंगे। उनके सरपरस्त तो आप यहां बैठे हुए हैं सवाल यह कि आ। कांस्टीटगुशन की 347 वीं दफा भी नहो पढ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह अगर इसको नहीं समझ सकते तो उनके पास तो बड़े बड़े लाय क लोग हैं सेकेटरीज हैं जो कानन के माहिर हैं उनसे इस दफें के मायने आप समझ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह को भी अब अपना हिसाब देना पड़ेगा । ग्रब तक सबसे हिसाब ले लिया गया है। ज्वान के मामले में कांग्रेस से भी हमने हिसाब लिया है।

तीन सबसे बड़े महकमे हैं। एक होम मिनिस्टरी, एक इनफारमेशन एण्ड बाइ-कास्टिंग मिनिस्टरी और एक एज्केशन मिनिस्टरी है। इन तीनों ने मिल कर उर्दू को बर्शद किया है। मुझे याद है कि कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग में जिसमें गुजराल साहब और दूसरे प्रेस के लोग भी शामिल थे इन्दिरा जी से मेरी बातचीत हुई थी। मैं ने उनसे कहा कि हम आपसे उर्दू की तारीफ सुनते सुनते थक गये। अब उसके लिए कुछ कीजिए। गुजराल साहब ने कहा कि उर्दू एक बड़ी जुबान है हमारी हकूमत उसको आगे बढ़ायेगी लेकिन मैंने इन्दिराजी से कहा कि आपका हक्म हर महकमे में चलता है सिफ रेडियो डिपार्टमेंट में और इनफामेंशन बाडकास्टिंग के भहकमे में

नहीं चलता है। गुजराल साहब ने कहा कि
उर्दू के साथ एक तारी बी लीगेसी है। वज्य
साहब जो इतराज कर रहे हैं को सही है। भई
हम तो किसी को नहीं बख्यते। किसी को नहीं
बख्योंगे इसलिए नहीं कि उर्दू मेरी जुबान है।
मैं इसका शायर हूं बिलक इसलिए कि यह
हिन्दुस्तानी जुबान है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Wajid, I think you have to stop now.

श्री सिकन्दर श्रली बज्द ं दो मिनट ग्रीर लूंगा। मैं उर्दू का ग्रादमी हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वह सोच समझ कर कह रहा हूं। हमारे पास गालिब ग्रीर इकबाल बडे शायर हैं। मैंने गालिब का दीवान देवनागरी में लिखा हुग्रा एक साउथ इण्डियन को पढ़वाया। मैं उनकी हिन्दी पढ़ता हूं

[िकसे खबर कि हजारों मकाम रखता है— वो फिक जिसमें है बेपदी रूह करानी। किसे खबर कि हजारों मुकाम रखता है। वह फिक जिसमें है वे परदा रूह कुरानी है।] दूसरा शेर है—

मिरे मीनाये गजल में थी जरा सी बाकी शेख कहता है कि ये भी है हराम ऐ साकी मेमेरी मीनाये गज्ल में थी जरासी बाकी। शेख कहता है कि यह भी है हराम ऐ साकी। क्या वो नमरूद की खुदाई थी— क्या वो नमोरद की खुदाई थी नथा कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता नथा कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता

एक शेर इकवाल का है। ग्राप उर्दू सम-झते होंगे। सभी हिन्दी वाले उर्दू समझते हैं। झठ बोलते हैं कि नहीं समझते;

> अगर खो 'गया एक नशे भन । , तो क्या ग्रम [मुकामाते आहो फर्गा आरे भी | हैं । †[अगर खो गया एक नशे मन, तो क्या गम मुकामात आहा फ़गां और भी है।]

तो मैं यह कहता हूं कि खत के साथ जुबान का गहरा ताल्लुक है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आटोबाईग्राफी में लिखा है। हर जबान की एक लिपि यानि एक रस्म-उलखत होता है। लिपि के साथ जबान का जिस्मोजान का ताल्लुक होता है। जब लिपि बदल जाती है तो लफ ज बदल ने हैं और उनके मायने बदल जाते हैं आग पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आऊट डेटिड हो गये अब हालात बदल गये हैं। पहले जो लोग यहां बैठत ये वो आज मिनिस्टर हो गये हैं। उर्दू का एक भेर है—

ऐसे बैसे कैसे कैसे हो गये कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गये।

उर्द् बड़ी मुण्किल जबान है जैसे सुबह होती है शाम होती है। उद्ध यू हो तमाम होती है। मैंने 20 साल में अजंता पर नज्म लिखी और 10 बरत में एलोरा पर नज्म लिखी क्या अजंता और एलोरा हिन्दी बालों ने नहीं देखें थे?

श्री श्रीकान्त वर्मा में उर्द् के फेवर में बोलने वाला हू। ग्राप हिन्दी की मखौल उड़ा रहे हैं। यह उचित नहीं। उर्द् का हिन्दी का कोई झगड़ा नहीं है।

श्री सिकन्दर श्रली वज्द मुखालफत की बात नहीं है। जो दूसरे के जबान की इज्जत नहीं करता वो अपनी जवान की भी इज्जत नहीं करता वो अपनी जवान की भी इज्जत नहीं करता। मैं किसी जवान की बेइज्जा नहीं कर रहा हुं आप से मैं इतना अर्ज करना चाहता हं कि जो उर्दू का हक है जो इसको कानून ने दिया है जो दस्तूर ने दिया है वो आप इसको दीजिये। उर्दू वाले आपकी सरपरस्ती आपकी महरवानी नहीं चाहते—सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। मुझे उम्मीद है आप अपने बुजुर्ग श्री मोरारजी देसाई और आलम फाजल चरण सिंह जी को भी यह बात समझा देंगे। ये हंसने की बात नहीं है। मैं कहुंगा कि मेरी बात अगर इन्हें नापसन्द है तो गुस्सा कर सकते हैं लेकिन यह हंसने का मौका नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA). Now, before I call the next speaker, I may inform the House that it ha3 been agreed that the House will sit beyond 5.30 and the Minister will reply at 5.30. This has been agreed to between the two Whips. So, I now call Mr. Shrikant Verma. I am allowing 8 to 10 minutes, otherwise, we would not be able to finish by that time.

SHRI SHRIKANT VERMA; Yes, I would not take even that much time.

उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं मुझे श्री सिकन्दर ग्रली वज्य साहब का जो टोन था वह पसन्द नहीं ग्राय . . . (Interruptions) उसमें थोड़ा यह लगा जैसे कि हिन्दी ग्रीर उर्दू के बीच कोई झगड़ा है या हिन्दी एक इनफीरियर भाषा है ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं उर्द के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हम्रा हं। सारा समय मैं उर्द् के पक्ष में ही बातें कहना चाहता हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, उर्द के बारे में एक मसल है, खाती है उर्द जबां ब्राते ब्राते । ब्रौर 300 साल में हिन्दुस्तान में एक बहुत उम्दा और नफ़ीस जबान बनी जिसको कि उर्द् का नाम दिया गया और इस भाषा ने बहुत बड़े शायर और कवि पैदा किये ग़ालिब, मीर, सौदा, और इक्कबाल । और इस भाषा के साहित्य की परम्परा पर हम सबको नाज है। जिन्हें नाज नहीं है उनको भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उर्दू इस देश की भाषा है, उसकी जबरदस्त परम्परा है। ग्राज ग्रगर हिन्दी भाषा एक जिन्दा भाषा है तो इसका श्रेय उर्द को भी है क्योंकि उर्द ने हिन्दी को भी किसी हद तक प्रभावित किया है, मार्डन हिन्दी को । मैं हिन्दी का कवि और लेखक हं। मैं जो जबान लिखता हूं या इस सदन में भी जो कुछ बोलता हूं उस पर उर्दू का बहुत जबदैस्त प्रभाव है । सबसे पहले तो मैं उपसभाष्यक्ष महोदय 14 जुलाई, 1958 को भारत सरकार

[श्री श्री कान्त वर्मा]

ने लैंग्वेज पर. भाषा पर जो वक्तव्य दिया था, उसे ही पूर्वाग्रह पर श्राधारित मानता हूं। उसमें उर्द को, उस स्टेटमेंट में एवेरियेशन श्राफ हिन्दी बताया गया है। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं मानता । मैं यह नहीं मानता कि उर्द जबान केवल एक वेरियेशन है हिन्दी का क्योंकि उर्द वाले भी कह सकते हैं और कहते रहे हैं कि हिन्दी उर्द का वेरियेशन है इसलिए इस विवादास्पद सवाल पर तटस्थ दृष्टिकोण न ग्रपना कर पक्षधर दृष्टिकोण ग्रपना कर भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने गलती की थी ग्रौर उसके बाद उसी स्टेटमेंट में काफी कुछ लीपा-पोती की गई ग्रौर यह बताया गया कि उर्द की तरक्की के लिए यह सब किए जाएंगे। लेकिन बनियादी सवाल से उसी समय कतरा दिया गया ग्रौर वह बुनियादी सवाल यह था कि जब तक उर्द उसी तरह प्रशासन की भाषा नहीं बनती जिस तरह कि हिन्दी या कोई ग्रौर भाषा तब तक उसकी तरककी नहीं हो सकती । उपसभाध्यक्ष महोदय, केवल लेखकों, साहित्यकारों को कुछ ग्रवार्ड देने से कुछ किताबों की उम्दा जिल्द छप जाने से कुछ लाइब्रेरियों में कुछ शेरो-शायरी की, किताबें पहंचा देने से किसी जवान को मान्यता नहीं मिलती । उसको मान्यता मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में । जब तक वहां मान्यता नहीं मिलती तब तक लोग ग्रपने बच्चों का भविष्य ग्रंधकारमय मानेंगे। मैं तो इस मामले में हिन्दी के लिए भी यही कहंगा। लोग ग्राज हिन्दी स्कूलों में ग्रपने बच्चों को भेजने के बजाय ग्रंग्रेजी स्कलों में भेजते हैं उस का भी यही कारण है। वे सोचते हैं कि श्रंग्रेजी हटने वाली नहीं है श्रौर हिन्दी का भविष्य ग्रंधकारमय है। इसलिए बच्चों को हिन्दी स्कलों में भेजना फिज्ल है । हिन्दी से कहीं ज्यादा ग्रंधकारमय भविष्य उर्द का है। श्रच्छा तो यह होता, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि उर्द कम से कम तीन राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है बिहार, उत्तर प्रदेश ग्रौर दिल्ली तो ग्रच्छा होता कि

उसी समय उर्द को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता । हमारे मन्त्री महोदय का ताल्लक सोशलिस्ट पार्टी से रहा है और मेरा भी कुछ थोडा सा ताल्लुक डा० लोहिया से रहा है। सन 1967 में मुझे याद ग्राता है कि डाक्टर लोहिया ने टिप्पणी की थी कि उर्द को बिहार और उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए ग्रीर उसके बाद डाक्टर लोहिया की प्रेरणा से ही मैंनें यहां हिन्दी लेखकों का एक सम्मेलन इस दिल्ली में बुलाया इस बात के समर्थन के लिए कि इन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाय । खैर वह लेखकों का सम्मेलन था । उससे क्या होता ? लेकिन सरकार तब से लेकर ग्राज तक कतराती रही है श्रीर यह तर्क जैसा कि मन्त्री महोदय ने ग्रपने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा कि पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए उर्द को द्वितीय राज-भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मैं उसे उचित नहीं मानता हूं । क्योंकि सेंसस के जो फिगर हैं वह डिपेंडेब्ल, प्रमाणिक मझे नहीं लगते क्योंकि सेसंस के लोग जहां पर भी इस तरह के सवाल करते हैं, वह बात मझे उर्द वालों ने, मुसलमानों ने खास कर बतायी कि वे हमारी भाषा को हिन्दी लिख लेते हैं क्योंकि उनकी मान्यता है कि उर्द ग्रीर हिन्दी एक ही भाषाएं हैं। वृत्तियादी तौर पर हो सकता है लेकिन व्यवहारिक तौर पर हिन्दी ग्रीर उर्द ग्रलग ग्रलग हैं क्योंकि दोनों की स्क्रिप्ट अलग अलग है और जब तक स्क्रिप्ट ग्रलग ग्रलग रहेगी तब तक भाषा भी ग्रलग ग्रलग रहेगी । सेंसस के धांकड़े या फिगर गलत हैं ग्रगर सेंसस सही भी है तो शासन तर्क से नहीं चलता है तर्क बदला जा सकत है। उर्दू जबान बोलने वालों की भाव-नाओं को समझते हुए और कितनी असूरक्षा में इन सिक्योरिटी में रह रहे हैं इसको देखते हुए, सरकार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए और उर्दू को कम से कम इन तीन राज्यों में दूसरी राजभाषा का दर्जा देना चाहिए।

इसके अलावा टैस्टब्कों की बात भी कही गयी इस रिपोर्ट में कि पुस्तके उपलब्ध होनी चाहिएं। मैं मंत्री जी से पूछता चाहता हं जो कि खुद इन्हीं इलाकों से ग्राये हए हैं, जैसे एक छोट से शहर को लिया जा सकता है ग्रगर वहां कोई ग्रपने बच्चे को उर्द में स्कूल में शिक्षा देना चाहता है तो पहले तो वहां उर्दू की व्यवस्था ही नहीं है। ग्रगर व्यवस्था है भी तो यह दिखा दिया जायगा कि पुस्तकों नहीं हैं, पाठ्य पुस्तकों नहीं हैं तो ऐसी हालत में हम कैसे उम्मीद करते हैं कि लोग अपने बच्चों को उर्द के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नतीज। यह हम्रा है कि जिनके खानदान में 300 साल से उर्दू बोली जाती थी जब ग्राज उनसे पूछा जाता है कि अपकी मातुभाषा क्या है तो वह कहते हैं कि हिन्दी। क्योंकि बे सोचते हैं कि हिन्दी कहने में ही सुरक्षा है। हो सकता है कि वह दिन भी हमें देखना पड़े कि मुसलमान 10 साल बाद अगर उससे पूछा जाय कि ग्रापका धर्म क्या है तो शायद उसे जवाब देना पड़े कि हिन्दू। एसी नौबत न ग्राये कि किसी को डर के मारे या भयवश ग्रपने धर्म या ग्रपनी भाषा को झठलाना पड़े। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कांग्रेस शासन की बात भूल जायें। यह राजनीति का सवाल नहीं है। यह सवाल सामाजिक ग्रीर ऐतिहासिक है ग्रीर उसको सुधारें तथा जो भी उसकी जरूरियात हो उनको पुरा करें। आज अगर उर्दू थोड़ी बहुत कहीं जिन्दा है तो पुलिस थानों में जिन्दा है क्योंकि पुलिस थानों में बब भी रपट या एक अ बई ॰ ब्रार० जिसको कहते हैं वह हिन्दी या उर्द में ही लिखी जाती है। यह एक ग्रजीब बात है कि उर्द् को जगह भी मिली तो कहां? कोतवाली में ग्रौर वाजारों में। लेकिन उर्द् को ग्राज प्रशासन में जगह नहीं है, क्योंकि प्रशासन में पहला स्थान अंग्रेजी का है और ्दूसरा स्थान हिन्दी का। झगड़ा हिन्दी ग्रीर उर्द का नहीं है। बल्कि झगडा तमाम भारतीय भाषाओं ग्रीर श्रंग्रेजी का है ग्रीर इस सवाल

को डाक्टर लोहिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ देश के सामने रखा था।

दूसरी बात यह है कि हिन्दी के लोग अक्सर यह तर्क देते हैं और इस रिपोर्ट, स्टेटमेंट आफ लैनावेजज में भी यह स्वीकार किया गया है ग्रीर कहा गया है कि यह हिन्दी का एक वैरियेशन है। अगर उर्दू जुबान हिन्दी का ही एक प्रकार है तो मैं यह तर्क करना चाहता हं कि क्या वजह है कि हिन्दी के लोग गालिब, मीर, सौद, इकबाल और फिराक को अपने कवि के रूप में नहीं स्वीकार करते, क्यों नहीं इन्हें अपनी परम्परा के रूप में स्वीकार करते. क्यों नहीं स्कूलों ग्रौर कालेजों में इन कवियों को पढ़ाया जाता है। जब उन्हें पढ़ाने का सवाल ग्राता है तब ये कतरा जाते हैं लेकिन वैसे कहने को तक वह देते हैं कि उर्द हिन्दी का ही एक प्रकार है। उपसमाध्यक्ष महोदय, ग्रादर्श स्थिति तो यह होती कि यह विवाद खत्म होता, एक ही ज्वान होती--हिन्द-स्तानी। लेकिन जुबान बनाने से नहीं बनती है। जुबान कोई ऐसी चीज नहीं है कि चार ब्रादमी मिल जायें तो जबान बन जाये और बिगड़ जाये। जुबान ग्रपने ग्राप बनती बिगड़ती है। तो उर्दू के साथ ही दूसरा सवाल सिंबी का भी जुड़ा हुआ है जिस पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए। सिंधी भाषा बेघरबार लोगों की भाषा मानी जाती है ग्रौर उसके विकास के लिए पिछले 30 वर्षों में लगभग कुछ नहीं हुग्रा। उर्दू के लिए तो फिर भी बोड़ा-बहुत हुम्रा है। उर्दू के लिए कुछ शोर-गुल होता रहता है। देव है उर्द के प्रति लोगों के मन में लेकिन फिर भी कुछ हल्लागुल्ला करने से या बोट बगेरह लेने के लिए कुछ थोड़ा उर्द के लिए कर देते हैं। लेकिन सिधी भाषा के लिए कुछ नहीं हुआ है। मैं उनके लेखकों को जानता हं और साहित्यकारों को जानता हूं कि वे किस हालत में रह रहे हैं। इससे मैं कल्पना कर सकता हं उनके बोलने वालों की हालत क्या होगी। उपसभाभ्यक्ष महोदय, सिधी केवल

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

व्यापारियों की भाषा नहीं है। कोई भी भाषा केवल व्यापारियों और धनियों की भाषा होकर नहीं बनी रहती है, उसके साथ संस्कृति होती है। उसके साथ संस्कृति जुड़ी होती है। इस यग के भाषा-शास्त्री नोम चाम्सकी ने यह बात बार-बार कही है कि कोई भी भाषा दसरी भाषा से इन्फीरियर नहीं होती क्योंकि उसमें सारी संभावनाएं होती हैं। सारा सवाल उसके विकास का होता है ग्रीर यह बात नोम चाम्सकी ने तब कही जब कि कुछ ग्रफीकी भाषात्रों के बारे में सवाल उठा ग्रौर उन्होंने कहा, कुछ लोग यह मानते हैं कि ग्रफीकी लोग ग्रपना साहित्य नहीं रच सकते। तब इसका उत्तर देते हुए चाम्सकी ने कहा कि ग्रफीकी भाषा भी उतनी ही विकसित है जितनी दूसरी भाषाएं हैं। उनमें सारी संभावनाएं हैं। उनमें कई ऐसे सिम्बल्स हैं जो अंग्रजी में नहीं मिलते। केन्च में नहीं हैं, जर्मन में नहीं हैं ग्रीर यह सही है कि उन्हें बहत से सिम्बल जो लेने पड़े हैं वे ग्राफेकी भाषाओं से लेने पड़े हैं और इसका नाम उन्होंने "नीग्रीट्यू" रखा है। इसलिए किसी भी भाषा को मानने के लिए उसकी सामाजिक परंपरा को समझना चाहिए। मैं विशेष रूप से सिधी के लिए आग्रह करूंगा कि गृह मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बेघरबार लोगों की जवान केवल एक बेघरबार जवान होकर न रह जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Before I call the next speaker, Mr. Shahi, the Minister for Finance wants to make a brief statements—only statement, on discussion on that—on Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

STATEMENT BY MINISTER

Natural Calamity in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and grant of Central Relief

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(SHRI SATISH AGARWAL): Sir, as the hon. Members if this House are aware a serious calamity has befallen two of the States of the Union— Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Large-Scale damage to life and property has occurred in many districts of these two States as a result of two severe cyclones. The total extent of the damage will be assessed in due course and it is the Central Government's intention to provide appropriate assistance to the two States. In the meanwhile, as a measure of emergency relief the Central Government has decided to sanction immediately an advance of Rs. 5 crores to Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

AN HON. MEMBER: Rs. 5 crores to each?

SHRI SATISH AGARWAL; Yes, Rs. 5 crores to Tamil Nadu and Rs. 5 crores to Andhra Pradesh. I am sure the Members of this House will join me in conveying to our brothers and sisters in Tamil Nadu and Andhra Pradesh our deepest sympathy in their difficult moment.

MOTION RE. FIFTEENTH AND SIXTEEN REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES IN INDIA—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Shahi eifiht to ten minutes.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): उपसभाष्ट्रयक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ साथियों ने उर्दू को ग्रपने मुसलमान भाइयों के साथ जोड़ने की कोशिश की है ग्रीर यह बड़े दुर्भीग्य की बात